10 रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

6

म/पुनर्स्थापन/टीकमगढ़/भू-रा/2017/2329

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर

प्र. क्र. /

प्रेमलाल फौत द्वारा वैध वारिसान

अ. महिला गुडडी पत्नी प्रेमलाल

ब. बृजेश व देवेन्द्र पुत्रगण प्रेमलाल , उम्र क्रमशः

50, 27 , 23,

2. नत्थू फौत द्वारा वैध वारिसान

अ. गोविन्दी

ब. भरोसी , हरी , रमेश , [illegible] पुत्रगण

नत्थू , उम्र क्रमशः 40,35 , 32 ,30

3. रामदास फौत द्वारा वैध वारिसान

अ. नन्दू ब. हरगोविन्द पुत्रगण रामदास

उम्र क्रमशः 40, 35 [illegible] सभी निवासी

ग्राम बहारूताल तह. जतारा जिला टीकमगढ़

4. कल्लू तन्ह भग्गू ढीमर

5. भरोसी , बालकिशन , रामरतन तन्ह

धानुआ ढीमर समस्त निवासीगण बहारूताल

तह. जतारा जिला टीकमगढ़ म.प्र.

--- आवेदकगण

बनाम

1. म.प्र. शासन

2. हीरा और कैलाश , प्रदीप पुत्र नारायण

दास गुप्ता ,

3. मनमोहन तन्ह भुवनेश्वर प्रसाद तिवारी

निवासी ग्राम जतारा तह. व जिला टीकमगढ़

--- अनावेदकगण

[illegible] 14-7-17

दिनांक 22.7.17 को श्री [illegible] शर्मा [illegible] द्वारा प्रस्तुत/ 22-7-17

... तो मेरे
न्यायालय द्वारा प्रकरण की

आवेदन पत्र अन्तर्गत आदेश 9 नियम 13 जा. दी. एवं धारा 9 नियम 32 म.प्र.भू.रा.स. 1959 पुर्नस्थापन

श्रीमान जी,

निवेदन निम्न प्रकार है:-

1. यह कि, मृतक प्रेम लाल, नत्थू व रामदास द्वारा आवेदक क्र. 4 व 5 के साथ एक अपील श्रीमान न्यायालय में प्रस्तुत की थी जिसका प्र. क्र. अपील 1461/2/2008 कमिश्नर सागर सम्भाग के आदेश दिनांक 28.8.06 के विरूद्ध प्रस्तुत की थी जिसमें हम आवेदको द्वारा श्री रामसेवक शर्मा अधिवक्ता को पैरवी करने हेतु नियुक्त किया था ।

2. यह कि, माननीय न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण का मेरे अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा को बगैर सूचना दिये प्रकरण में न्यायालय के बाबू द्वारा एक पक्षीय रूप से आदेश पत्रिकाएं लिखाकर के प्रकरण में दिनांक 4.7.16 को एक पक्षीय आदेश पारित कराया जिसकी जानकारी ग्राम में चर्चा के दौरान मुझे दिनांक 15.6.17 को शाम 7 बजे मिली तब मैंने आवेदक क्र. 1, 2, 4 के मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर अपने अभिभाषक के पास दिनांक 24.6.17 को ग्वालियर राजस्व मण्डल मोतीमहल पहुचा तथा अपने अभिभाषक रामसेवक शर्मा से मिला तथा प्रकरण के बारे में जानकारी चाही तो उन्होंने बताया कि साहब का स्थानान्तरण हो गया है तथा साहब 1200 प्रकरण आदेश में सुरक्षित छोड गये है । तब मैंने प्रकरण के बाबू से सम्पर्क किया तो उन्होंने बताया कि आपका प्रकरण न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया है ।

3. यह कि, आवेदक नन्दू द्वारा यह बात अपने अधिवक्ता श्री रामसेवक शर्मा को बताई और कहा कि आप प्रकरण में उपस्थित नही हुये तो मेरे अधिवक्ता ने बताया कि मुझे माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण की

राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक एक/पुर्ना0/टीकमगढ/भूरा/2017/2329

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभा' आदि के हस्ताक्षर
1-9-17	आवेदक के अधिवक्ता के तर्को पर विचार किया तथा प्रकरण कमांक अपील 1461–दो/08 में पारित आदेश दिनांक 4.7.16 का अवलोकन किया गया जिसमें आवेदक अधिवक्ता द्वार मुख्य रूप से तर्क उठाया गया है कि प्रकरण में सुना नहीं गया है। 2– प्रकरण कमांक अपील 1461–दो/08 में पारित आदेश दिनांक 4.7.16 का अवलोकन किया गया तथा दिनांक 18.9.15 की आदेश पत्रिका का अवलोकन किया जिसमें यह आदेश पत्रिका स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा लेख की गई है जिसमें उभयपक्ष तथा शासन के पैनल अधिवक्ता को उपस्थित बताया गया है। उसके पश्चात दिनांक 4.7.16 को आदेश पारित किया गया है। वह भी आदेश पत्रिका स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा लेख की गई है। इससे स्पष्ट है कि यह तर्क मानने योग्य नहीं है। प्रस्तुत पुर्ना0 का आवेदन निरस्त किया जाता है। सदस्य	